आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

समपहरण वाद संख्या–31 / 2014–15
राज्य बनाम कृष्ण मोहन प्रसाद एवं अन्य.

आदेश

उक्त समपहरण वाद बड़हिया थाना कांड सं0–200 / 14 दिनांक–17.11.2014 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत जप्त खाद्यान्न 71 बोरा(प्रत्येक बोरा का वजन 50 किलो) एवं 20 किलो चावल जप्त हुआ है। जप्त खाद्यान्न इन्दुपुर के डीलर कृष्णमोहन प्रसाद, वार्ड नं0–23 का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्वेश्य से बड़हिया बाजार में ले जाया जा रहा था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हिया द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–293 / विधि, दिनांक–09.04.2015 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया।

तद्नुसार अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–517 / आ0, दिनांक–06.08.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 71 बोरा(प्रत्येक बोरा का वनज 50 किलो) एवं 20 किलो चावल को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 41234=00(एकतालीस हजार दो सौ चौंतीस) रू0 मात्र अनुमंडल नजारत में नाजिर रसीद सं0–567235, दिनांक–03.08.2015 द्वारा जमा कर दिया गया है।

विपक्षी कृष्ण मोहन प्रसाद को इस न्यायालय ज्ञापांक–316 / विधि, दिनांक–16.04.2015 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, जिसे विपक्षी द्वारा नोटिस पढ़ने उपरांत लेने से इंकार कर दिया गया। अन्य विपक्षी यथा वाहन मालिक धर्मेन्द्र राम, पिता–दीनानाथ राम एवं वाहन चालक चन्द्रशेखर राम, पिता–खिरो राम दोनो ग्राम–महना, थाना–बछवारा(?)नी, जिला–बेगुसराय को भी नोटिस निर्गत किया गया परन्तु उनके द्वारा भी न्यायालय में कभी उपस्थिति नहीं दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त खाद्यान्न की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित / संशोधित

(ह0) 3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

(ह0) 3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–161 विधि, दिनांक–03-03-16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।